निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

बइजलास श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:– 10/2017 दिनांक:–15/9/17

उनवान:–

1– राधेश्याम पिता मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी अचारी तह0 छोटीसादडी
2– सुरेश पिता मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
3– प्रकाश पिता मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
4– बोथलाल पिता मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
5– गोपाल पिता मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
6– राकेश पिता मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
7– जानी बेवा मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
8– बालमुकन्द पिता मेघराज जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
9– समरथ पिता मेघराज जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
10– राकेश पिता मेघराज जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
11– मोहनीबाई बेवा मेघराज जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
12– सुखीबाई बेवा काशीराम जी मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी

——वादीगण

:: बनाम ::

1– देवीलाल पिता खेमराज जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
2– बंशीलाल पिता केशुराम जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
3– हीरालाल पिता केशुराम जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
4– भुवानीराम पिता केशुराम जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
5– ईश्वरलाल पिता ग्यारसीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी
6– चांदीबाई बेवा ग्यारसीलाल जी जाति मीणा निवासी आचारी
7– नन्दूबाई बेवा मूलचंद जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
8– कंवरलाल पिता मूलचंद जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
9– कन्हैयालाल पिता मूलचंद जी जाति मीणा निवासी आचारी तह0 छोटीसादडी
10– सरणीबाई बेवा भंवरलाल जी जाति मीणा निवासी अचारी तह0 छोटीसादडी
11– गुड्डू पिता भंवरलाल जी जाति मीणा निवासी अचारी तह0 छोटीसादडी
12– कन्हैयालाल पिता नारायणदास जाति सिन्धी निवासी नीमच म0प्र0
13– गोपीबाई पुत्री नारायणदास जाति सिन्धी निवासी नीमच म0प्र0
14– पूजा पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी नीमच म0प्र0
15– भावना पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी नीमच म0प्र0
16– अनिता पुत्री दुर्गादास जाति सिन्धी निवासी बघाना नीमच म0प्र0
17– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी

——प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

–: निर्णय :–

1— वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अचारी प0ह0 सूबी तह0 छोटीसादड़ी में साबिक आराजी नं0 182 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 183 रकबा 14 बिस्वा, आ0नं0 432 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आ0नं0 485 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा स्थित होकर नकल जमाबन्दी पेश की। उक्त आराजीयात पैतृक आराजी होकर शामलाती खातेदारी में रेवेन्यु रिकार्ड में खेमराज, केशुराम, पिता नन्दा मीणा, कन्हैयालाल मूलचंद पिता चुन्नीलाल 1/4 काशीराम मांगू मेघराज पिता दलीचंद मीणा के नाम से दर्ज हैं।

2— कि उक्त आराजीयात का भूप्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईशी कार्य किया गया। उक्त साबिक आराजीयात के नये नम्बर आ0नं0 245 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ0नं0 246 रकबा 0.27 हैक्टेयर, आ0नं0 247 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ0नं0 249 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आ0नं0 250 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आ0नं0 328 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आ0नं0 329 रकबा 0.63 हैक्टेयर, आ0नं0 393 रकबा 1.91 हैक्टेयर बनाये गये। नकल जमाबन्दी मय मिलान क्षैत्रफल पेश हैं। भूप्रबन्धक विभाग वालों ने सेवन से या भूलवश अन्य सवर्ण पार्टी से दुरभिसंधि कर आराजीयात सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम कन्हैयालाल पिता नारायणदास, मु0 रेखादेवी बेवा दुर्गादास, मु0 जशोदाबाई बेवा नारायणदास सिन्धी के नाम कर दी गई। भूप्रबन्धक विभाग को अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीन रेवेन्यू की सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम करने कराने का कोई कानूनन हक अधिकार नहीं था। उक्त आराजीयात पर वादीगण एवं प्रति0 संख्या 1 से 11 तक का निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा होकर काबिज हैं तथा अपनी खातेदारी की इस वाद पत्र के जरिये अपनी खातेदारी की घोषित करा अपने नाम पुनः रेवेन्यु रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने, इन्द्राज दुरूस्ती करा अपने नाम अंकन कराने का अधिकारी होने से यह वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया जा रहा हैं।

3— कि वादग्रस्त आराजीयात पर हमारा साधिकार कब्जा होकर काबिज हैं तथा करीब 2 माह पूर्व पटवारी साहब, ने नकल जमाबन्दी की प्राप्त करने जाने पर सवर्ण के नाम आराजी दर्ज होने की जानकारी हुई व प्रतिवादीगण को पुनः वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी नं0 245, 246, 247, 249, 250 जिस पर वदीगण काबिज काश्त हैं अपने खातेदारी की घोषित करा अपने नाम दर्ज कराने की कहने पर मना कर देने व जमीन छिनने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न होकर इसके बाद हर रोज उत्पन्न हो रहा हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कि
गये। किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर नहीं हुये इस कारण प्रकरण में उन
विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण द्वारा मौखिक शहादत में वादीगण के बयान कराये गये। चुं
उत्तरदावा प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे तनकीयात कायम नहीं की जा सकती।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने व
पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये आराजी मौजा आचारी प0ह0 सूबी के खस
संख्या 245, 246, 247, 249, 250 खातेदारी अधिकार की घोषणा किये जाने
निवेदन किया ।

चूंकि प्रकरण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय हो ,चुका हैं जिससे वकी
वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख
नकलों का अवलोकन किया गया। साबिक आराजी नं0 182 रकबा 2 बीघा 15 बि
आ0नं0 183 रकबा 14 बिस्वा, आ0नं0 432 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आ0नं0 4
रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा जिनके सेटलमेन्ट के बाद नवीन आराजी नं0 आ0नं0
0.25 हैक्टेयर, आ0नं0 246 रकबा 0.27 हैक्टेयर, आ0नं0 247 रकबा 0
आ0नं0 250 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आ

हैक्टेयर बने हैं। वादीगण का आराजी नं0 245 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ0नं0 246 रकबा 0.27 हैक्टेयर, आ0नं0 247 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ0नं0 249 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आ0नं0 250 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर वादीगण का साधिकार कब्जा हैं जिससे वादीगण को आराजी मौजा आचारी के आराजी नं0 245, 246, 247, 249, 250 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता हैं कि वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाता है कि वादी को मौजा आचारी प0ह0 सूबी के नवीन आराजी नं0 245 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ0नं0 246 रकबा 0.27 हैक्टेयर, आ0नं0 247 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ0नं0 249 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आ0नं0 250 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती होवे तथा नक्शे में तरमीम होवे । डिक्री पृथक से जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15-9-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.9.17

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ